

भारत-पाकिस्तान जलवियुत परियोजना को लेकर मतभेद

प्रलिस के लयि:

मध्यस्थता न्यायालय, [सधु जल संधि](#), स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA), [वशिव बैंक](#)


मेन्स के लयि:

सधु जल संधि और कार्यानवयन संबधति मुद्दे

चर्चा में क्यो?

भारत जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा और रतले जलवियुत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, हाल ही में हेग(Hague) स्थति स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA) ने फेसला कयि है क उसके पास इस परियोजना से संबधति पाकिस्तान की आपत्तयिों/शकियतें सुनने का अधकियर है।

- हालाँक, "मध्यस्थता न्यायालय" के संबधियन को [सधु जल संधि](#) (Indus Waters Treaty- IWT) के प्रावधानों के खलियफ मानते हुए भारत इसे अस्वीकार करता है।



सधु जल संधि:

■ परिचय:

- भारत और पाकस्तान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में **IWT (जल साझाकरण संधि)** पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता था।
- यह संधि **सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र** निर्धारित करती है।
- इस संधि का उद्देश्य **भारत और पाकस्तान के बीच सीमा पार जल संसाधनों के सहयोग तथा शांतपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा देना** है।

■ नदियों का आवंटन:

- इस संधि के तहत, **तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलज)** को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये **भारत** को आवंटित किया गया है।
- **पाकस्तान के अप्रतिबंधित उपयोग के लिये तीन पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चनाब)** आवंटित की गई हैं।
- भारत के पास **घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषि उद्देश्यों के लिये पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति** है।

मुख्य प्रावधान:

■ परियोजना निर्माण:

- इस संधि के तहत कुछ शर्तों के साथ **भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर जलवदियुत परियोजनाओं के निर्माण** की अनुमति है।

■ विवाद नपिटान:

○ स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से संवाद (Permanent Indus Commission- PIC):

- इस आयोग में प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है।
- इसके सदस्य देश एक-दूसरे को सिंधु नदी पर नयोजित परियोजनाओं के बारे में सूचित करते हैं।
- PIC आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य मतभेदों को दूर करना और तनाव को बढ़ने से रोकना है।

○ तटस्थता कार्य विशेषज्ञ:

- यदि PIC किसी समस्या को हल करने में विफल रहता है, तो इस समस्या को अगले स्तर पर भेज दिया जाता है।
- **विश्व बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है।**
- यह विशेषज्ञ मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है।

○ मध्यस्थता न्यायालय (CoA):

- यदि उस मामले का नपिटान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा भी नहीं हो पाता है फरि मामले को **मध्यस्थता न्यायालय में भेज दिया जाता है।**
- CoA मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान करती है।
- सिंधु जल संधि में स्पष्ट है **किसी दिये गए विवाद के लिये तटस्थ विशेषज्ञ और CoA में से एक समय में केवल एक का ही उपयोग किया जा सकता है।**

भारत और पाकस्तान के बीच जल-वदियुत परियोजना विवाद:

■ जल-वदियुत परियोजनाएँ:

- इस मामले में भारत और पाकस्तान के बीच **कशिनगंगा जल-वदियुत परियोजना (झेलम नदी की सहायक नदी कशिनगंगा नदी पर)** और **जम्मू-कश्मीर में रतले जल-वदियुत परियोजना (चनाब नदी पर)** को लेकर विवाद शामिल है।
 - दोनों देश इस बात पर असहमत हैं **किक्या इन दोनों जल-वदियुत संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन विशेषताएँ IWT का उल्लंघन करती हैं।**

■ पाकस्तान की आपत्तियाँ:

- पाकस्तान **IWT के उल्लंघन में कम जल प्रवाह, पर्यावरणीय प्रभाव तथा विभिन्न संधि वियाख्याओं के बारे में चर्चाओं** का हवाला देते हुए जल-वदियुत परियोजनाओं पर आपत्तितताता है।
- वर्ष 2016 में पाकस्तान ने **एक तटस्थ विशेषज्ञ का अपना अनुरोध वापस** ले लिया साथ ही इसके स्थान पर एक **CoA** का प्रस्ताव रखा।
- भारत ने इस प्रक्रिया में इसके महत्त्व पर जोर देते हुए वर्ष 2016 में **एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध** किया, जिसे पाकस्तान ने नजरअंदाज करने की कोशिश की।

■ विश्व बैंक का हस्तक्षेप:

- विश्व बैंक ने भारत और पाकस्तान के **अलग-अलग अनुरोधों के कारण प्रक्रिया पर रोक** लगा दी, जिसमें **PIC** के माध्यम से समाधान का आग्रह किया गया था।
- पाकस्तान ने **PIC** बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण विश्व बैंक को तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय पर कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ी।
 - यह संधि विश्व बैंक को यह नरिणय लेने का अधिकार नहीं देती है **किक्या प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये या नहीं।**
 - विश्व बैंक ने CoA और तटस्थ विशेषज्ञ दोनों के संबंध में अपने प्रक्रियात्मक दायित्वों को पूरा करने की मांग की।

■ भारत का वरिोध:

- भारत, सिंधु-जल संधि प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए **CoA के संवधान का वरिोध** करता है।

??????:

प्रश्न . सधु जल संधिका वविरण प्रस्तुत कीजयि तथा बदलते द्वपिक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारस्थितिकि, आर्थकि एवं राजनीतकि नहितार्थों का परीक्षण कीजयि । (2016)

स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pca-asserts-competence-in-india-pakistan-hydroelectric-projects-dispute>

